न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास–रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 48/2021

प्रार्थी :–

1. उगमाराम पुत्र कानाराम जाति नायक निवासी झाडेली तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कमलादेवी पत्नि मोटाराम
2. ग्यारसी पुत्री मोटाराम
3. दयालाराम पुत्र मोटाराम ना.बा जरिये सरंक्षक माता कमलादेवी
4. मंजूदेवी पुत्री मोटाराम
5. सुमन पुत्री मोटाराम ना.बा. जरिये सरंक्षक माता कमलादेवी
6. परमा पुत्री मोटाराम ना.बा. जरिये सरक्षंक माता कमलादेवी
7. मोहना पुत्र कानाराम
8. छोटाराम पुत्र कानाराम

समस्त जातियान नायक निवासी झाडेली तहसील जायल जिला नागौर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति–

1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठोड़ प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 8 उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : निर्णय : : –

दिनांक 25/05/2022

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बडेर के खेत ख.न. 103/796 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, ख.न. 1053/101 रकबा 1.5054 हेक्टेयर, ख.न.

25/05/22
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

1054/101 रकबा 0.1295 हेक्टेयर आये हुये है। प्रार्थी अपने खेत मे आने जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि ख.न. 1054/101 मे पारिवारिक बंटवाडे के समय रहता आया है रखा गया था। लेकिन ख.न. 1054/101 खातेदारी मे दर्ज हो जाने से खातेदारी की आड में अप्रार्थी सं. 7 व 8 आने जाने से मना कर रहे है। प्रार्थी अपने खेत ख.न. 103/796 रहवासी ढाणी व ख.न. 1053/101 मे आने जाने के लिए ख.न. 1054/101 रकबा 0.1295 मे 13 फुट चौडाई का रास्ता घोषित करवाना चाहता है। प्रार्थी अपने खेत ख.न. 103/796 मे काश्त करसण एव पशुधन उक्त रास्ते से ही लाता ले जाता रहा है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। ख.न. 1054/101 को बंटवाडा के समय से ही रास्ते के उपयोग हेतु रखा गया था परन्तु राजस्व रेकर्ड मे कटाण घोषित नहीं होने से विवाद उत्पन्न होने पर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्सा मार्क ए से बी रास्ता घोषित करवाने हेत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्सानुसार ख.न. 1054/101 में 13 फिट चौडाई में मार्क ए से बी तक का रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज किये जाने बाबत आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को जवाब हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 9 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

अप्रार्थीगण सं. 1 से 8 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जो बाद सूचना एवं उपस्थिति ईन्तजार करने के उपरांत भी हाजिर नहीं आये। जिस पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गई। तहसीलदार जायल द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2021 को मौके पर तैयार की जाकर द्वारा पत्रांक 3384 दिनांक 25.08.2021 से प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत एवं रहवासी ढाणी तक आने जाने प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता कटाणी रास्ता से नजदीक रास्ता है। प्रस्तावित रास्ते मे किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में ख.न. 1054/101 रकबा 0.1295 हेक्टेयर मे से रास्ते में रकबा 0.1092 हेक्टेयर भूमि रास्ते में आयेगी जिसकी लम्बाई 910 मीटर है। मौके पर ख.न. 154/101, 1050/101, 1051/101, 1052/101 व 1053/101 एक ही चक मे है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही होने से तथा हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding)का होने हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम हेतु तारीख नियत की गई।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुनरावृती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई कटाणी रास्ता लगता है। ख.न. 1054/101 जो कि पक्षकारान मे मध्य में भाई बंटवाडे में रास्ता के रूप मे रखा गया था तथा प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग अपने खेत व ढाणी मे आने जाने व कृषि संसाधन लाने –लेजाने हेतु करता आ रहा है, परन्तु ख.न. 1054/101 कटाण दर्ज नहीं होकर सहखातेदारी मे दर्ज हो जाने से अप्रार्थी सं. 7 व 8 द्वारा रास्ते के उपयोग व उपभोग करने से प्रार्थी का मना किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नही है, तथा मौका रिपोर्ट में भी इसी रास्ते को सबसे न/जदीक होने का उल्लेख करते हुये प्रार्थी के खेत ख.न. 103/796 व 1053/101 के अन्य कोई कटाणी रास्ता व वैकल्पिक रास्ता नहीं होना अंकित किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर माफिक नजरी नक्सानुसार रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत ख.न. 103/796 व 1053/101 जिसके प्रार्थी के कथनानुसार कटाणी या वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु ख.न. 1054/101 प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखोतदारी के खेत कटाणी रास्ता से फटकर ही आवगमन हेतु सबसे नजदीक रास्ता है। तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे भी प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते को ही सबसे नजदीक एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना प्रमाणित होता है। चुंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही प्रस्तावित की हुई है साथ ही मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी कमलादेवी के हस्ताक्षर अंकित है तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 ने हस्ताक्षर करने से मना किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रकरण मे उपस्थित आकर किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थीगण द्वारा बाद सूचना अनुपस्थित रहने से तथा मौका रिपोर्ट में से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत ख.न. 103/796 व 1053/101 मे आने जाने कोई कटाणी रास्ता नहीं लगने व वैकल्पिक रास्ता भी मौजुद नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता माफिक नजंरी नक्सा ए से बी सबसे नजदीक है एवं रास्ते मे किसी प्रकार का अवरोध भी मौका रिपार्ट में उल्लेखित नही है। उक्त रास्ता की प्रार्थी के खेत में आने जाने तथा पशुधन तथा कृषि प्रयोजनार्थ आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु नितांत आवश्यकता होने से व अन्य वैकल्पिक रास्ता का अभाव होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम झाडेली तहसील जायल के खसरा नं. 1054 / 101 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2021 के अनुसार लाल स्याही से डोटेट मार्क ए से बी के अनुसार 13 चौड़ाई व 910 फीट लमबाई का रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2021 हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम झाडेल तहसील जायल के खसरा नं. 1054 / 101 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थी से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट / तकमीना) का नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

25/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल

यह आदेश आज दिनांक 25/05/2022 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

25/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल